न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 06/2026

उनवान

आरविकॉन इन्टरनेशनल जरिये ए.के. सिंह हाल मुकाम बिजोलियां, तहसील बिजोलिया, जिला भीलवाडा।

——प्रार्थी

बनाम

श्री ललित कुमार डीडवानिया तहसीलदार बिजोलियां, जिला भीलवाडा।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु

—: आदेश :—

दिनांक 20/05/2026

प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी के विरूद्ध पटवार हल्का बिजोलिया कलां तहसील बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा के द्वारा राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत धारा 91 का प्रकरण संख्या 69/2026 जो पटवार हल्का के द्वारा दिनांक 09.02.2026 को प्रस्तुत किया और दिनांक 09.02.2026 को दर्ज करते हुए नोटिस जारी किये और दिनांक 17.02.2026 का नोटिस जारी किया जो प्रार्थी को दिनांक 16.02.2026 को प्राप्त हुआ और प्रार्थी दिनांक 17.02.2026 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने का प्रस्तुत किया जो दिनांक 17.02.2026 को मय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जोशी उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जिसको शामिल करते हुए जवाब हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.02.2026 की तारीख पेशी दे दी जबकि प्रार्थी व उसके अधिवक्ता द्वारा तहसील कार्यालय बिजोलिया में जमाबंदी में अन्य नकलें हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें 10 दिवस के पहले रिकॉर्ड की नकले देने का प्रावधान नहीं होना बताया और जल्दी तारीख पेशी दी गयी लेकिन पटवार हल्का बिजोलिया ने एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व में ही प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई थी। इन्हीं खसरा नम्बरान के बाबत् जिसकी अपील विद्वान अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष अपील संख्या 07/2026 आरविकॉन इंटरनेशनल कम्पनी बनाम राजस्थान सरकार जिसमें अपील दर्ज रजिस्ट्रर कर अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया और दिनांक 19.03.2026 की तारीख पेशी नियत है। इसके बावजूद भी पटवार हल्का बिजोलिया के पटवारी ने द्वेषता पूर्वक प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की है इसलिये प्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम का प्रकरण श्री ललित कुमार डीडवानिया, तहसीलदार बिजोलिया, तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें उक्त पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 17.02.2026 को उक्त प्रकरण में जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने के बावजूद भी उक्त प्रकरण में समय नहीं दिया जाकर के उनकी मानसिक विचारधारा प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, और उक्त प्रकरण में मात्र 18, 19, 20 फरवरी को विवाह कार्यक्रम होने की वजह से ज्यादातर स्टाफ कर्मचारी अवकाश पर थे और दिनांक 21 व 22 फरवरी को राजकीय अवकाश होने की वजह से उक्त प्रकरण से सम्बन्धित एवं राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की नकले नहीं मिल सकती क्योंकि कर्मचारी ज्यादातर शादी–विवाह में व्यस्त रहने से एवं शनिवार–रविवार का अवकाश होने की वजह से उक्त प्रकरण से सम्बन्धित नकलें मिलना असंभव है और पटवार हल्का बिजोलिया द्वारा उसी गाँव में किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध न तो प्रकरण दर्ज किये गये है और ना ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने बाबत् कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की हो या प्रकरण दर्ज किया हो जिसमें किसी भी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को कहा कि दिनांक 17.02.2025 को उक्त प्रकरण का चाहे आप जवाब देवे या नहीं देवे में तो फैसला करूँगा ही जिससे पीठासीन अधिकारी महोदय के यहां राजनैतिक दबाव से उक्त प्रकरण में अत्यंत रूचि

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

लेकर के मात्र शिकायतकर्ताओं को खुश करने के लिये प्रार्थी के विरूद्ध न्यायिक कार्य को अंजाम दे रहे है जो कि ग्रामवासियों से उल्टी सीधी शिकायतें कर अवैध वसूली करके राजस्व कर्मचारियों व पटवार हल्का बिजोलिया के पटवारी के साथ मिलकर के उक्त किस्म के व्यक्ति बंदरबांट करते हैं इसलिये शिकायतकर्ताओं व उनके सहयोगियों के दबाव में आकर के पीठासीन अधिकारी, विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रार्थी को शिकायकर्ताओं के के कहने से येनकेन प्रकरण प्रार्थी को अन्तर्गत धारा 91 प्रावधानों अनुसार कार्यवाही करके हैरान व परेशान करने पर आमादा है। जबकि प्रार्थी उक्त आराजी बाबत् सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु मात्र दस–पंद्रह दिवस का समय चाहा गया लेकिन पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी व उसके कर्मचारी व अन्य व्यक्ति जब पीठासीन अधिकारी के समक्ष गये तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया गया था कि आपके विरुद्ध/खिलाफ मुझे कार्यवाही करनी है क्योंकि मेरे ऊपर गाँव वालों का दबाव है और प्रार्थी ने जब बातचीत करने की कही तो उसने एक नहीं सुनी और इसलिये प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है इसलिये प्रार्थी के पास मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है इसलिये प्रार्थी द्वारा मुंतकिली प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित ठोस आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है :–

1. तहसीलदार बिजोलिया ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थी के विरूद्ध गाँव के कुछ शिकायतकर्ताओं के आधार पर जो कि आदतन शिकायतकर्ता एवं गाँव के व्यक्तियों की उल्टी सीधी शिकायतें कर अवैध वसूली का कार्य करता है एवं प्रार्थी को गाँव की राजनैतिक द्वेषतावश कुछ गाँव के व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने की गरज से उक्त झूटी एवं जल्दी कार्यवाही कर प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने पर आमादा है और मैं तुम्हारे विरूद्ध कार्यवाही करके ही रहूँगा और तुम्हारे को अभी जेल भेजूंगा। इसलिए तहसीलदार बिजोलिया के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया गया तो प्रार्थी को न्याय प्राप्त नहीं होगा।

2. तहसीलदार बिजोलिया ने अपने समक्ष पटवार हल्का बिजोलिया की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 09.02.2026 को प्रकरण दर्ज किया और उसके नोटिस जारी किये उक्त नोटिस की प्रति तहसील कार्यालय के सवार ने दिनांक 16.02.2026 को करीबन 4.30 बजे शाम को दिया और दिनांक 17.02.2026 को प्रार्थी मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. एवं जवाब हेतु दस्तावेज जुटाकर के जवाब प्रस्तुत करने का समय चाहा लेकिन तहसीलदार बिजोलिया ने उक्त प्रार्थना पत्र को रद्दी माना और लेने से भी मना कर दिया। उक्त प्रकरण में मात्र 18, 19, 20 फरवरी को विवाह कार्यक्रम होने की वजह से ज्यादातर स्टाफ कर्मचारी अवकाश पर थे और दिनांक 21 व 22 फरवरी को राजकीय अवकाश होने की वजह से राजस्व प्रकरणों की नकले नहीं मिल सकी और प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को कहा कि दिनांक 17.02.2026 की तारीख दी गयी और दिनांक 17.02.2026 को प्रार्थी व उसके कर्मचारी को तहसील कार्यालय में पांच–दस व्यक्तियों के समक्ष कहा कि मैं तुम्हारे विरूद्ध कार्यवाही करके ही रहूँगा और प्रार्थी को जेल भेजने की धमकी दी और पूरे गाँव के समक्ष बेईज्जती करने की धमकी दी इसलिए प्रार्थी व उसके अधिवक्ता के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी समय नहीं दिया जाकर के एकतरफा कार्यवाही किये जाने का एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं देना और न ही सुनना चाहा तब प्रार्थी को यह पूर्ण अंदेशा हो गया कि पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है इसलिये प्रार्थी के पास मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता इसलिये प्रार्थी द्वारा यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। इसलिए उनसे प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय की कतई उम्मीद शेष नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

3. तहसीलदार बिजोलिया ने दिनांक 17.02.2026 को इतना जलील कर दिया कि पटवार हल्का बिजोलिया व तहसीलदार बिजोलिया ने यह कयास लगा लिया कि प्रार्थी विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर लिया है जबकि विवादित आराजीयात् की बिना पैमाईश कराये ही पटवारी के मौखिक आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध धारा–91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही पीठासीन अधिकारी को मौखिक ही बोल दिया कि मैं कोई दस्तावेज देखना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही करके ही रहूँगा और प्रार्थी को जेल भेजने की धमकी दी और न तो प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर दिया और न ही सुनना चाहा तब प्रार्थी को यह पूर्ण अंदेशा हो गया एवं उक्त सभी घटनाओं से प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रार्थी के पास मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है इसलिए प्रार्थी द्वारा यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी कम पढ़ा–लिखा, एवं कानून की जानकारीयाँ प्राप्त नहीं होने से एवं असहाय व्यक्ति

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है और राजनैतिक द्वेषतावश गाँव के ही कुछ पढ़े–लिखे जो कि शिकायतकर्ताओं के द्वारा गाँव के करीबन कई व्यक्तियों की आये दिन शिकायत करते है और राजस्व कर्मचारियों एवं पटवार हल्का बिजोलिया को प्रलोभन देते है कि इनके विरूद्ध शिकायत के आधार पर प्रकरणों को दर्ज करवाते और फिर अवैध वसूली करके राजस्व कर्मचारियों एवं पटवार हल्का बिजोलिया को भी देते है और खुद भी रखता है इसलिये प्रार्थी द्वारा उक्त अवैध वसूली नहीं देने से शिकायतकर्ताओं ने येन, केन, प्रकरण तहसीलदार बिजोलिया से प्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण को निर्णित करा करके मैं तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही करके ही रहूँगा और तुम्हारे को अभी जेल भेजूंगा जिससे तुम जेल में पड़ा रहे इसलिए प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं बचता। इसलिए उपरोक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जाना न्यायोचित है। गाँव के शिकायतकर्ताओं एवं असामाजिक व्यक्तियों ने भी खुलेआम प्रार्थी को यह धमकी दे रहे हैं कि उनकी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकी है जिससे पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करके ही रहूँगा और जेल भेज कर ही रहूँगा इसलिए माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जावे जिससे कि प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके।

अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर श्री ललित कुमार डीडवानिया, तहसीलदार बिजोलिया, तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 69/2026 राजस्थान सरकार बनाम आरविकॉन इन्टरनेशनल जरिये ए.के. सिंह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने के आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

बाद जांच प्रकरण दिनांक 24.03.2026 को पजीबद्व किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट पेश। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि– तहसीलदार बिजोलिया ने अपने समक्ष पटवार हल्का बिजोलिया की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 09.02.2026 को प्रकरण दर्ज किया और उसके नोटिस जारी किये उक्त नोटिस की प्रति तहसील कार्यालय के सवार ने दिनांक 16.02.2026 को करीबन 4.30 बजे शाम को दिया और दिनांक 17.02.2026 को प्रार्थी मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. एवं जवाब हेतु दस्तावेज जुटाकर के जवाब प्रस्तुत करने का समय चाहा लेकिन तहसीलदार बिजोलिया ने उक्त प्रार्थना पत्र को रद्दी माना और लेने से भी मना कर दिया। अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर श्री ललित कुमार डीडवानिया, तहसीलदार बिजोलिया, तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 69/2026 राजस्थान सरकार बनाम आरविकॉन इन्टरनेशनल जरिये ए.के. सिंह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने के आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार बिजोलियां द्वारा पत्र कमांक 585 दिनांक 21.04.2026 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया गया कि– पटवार हल्का बिजौलिया कलां द्वारा भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत धारा 91 का प्रकरण ग्राम बिजौलिया कलां आराजी नं0 2030/1629, 2038/1832, 1952/608, 2036/1838, 2032/1633 रकबा क्रमशः 0.0081, 0.0242, 0.0405, 0.0243, 0.0162 है0 भूमि किस्म गे0गु0रास्ता एवं आराजी न0 2031/1633 रकबा 0.0809 है० किस्म बंजड का प्रकरण पटवार हल्का बिजौलिया कलां द्वारा दिनांक 09.02.2026 को प्रस्तुत किया गया। जिसे प्रकरण स0 69/2026 से दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी आरविकॉन इन्टरनेशनल जरिये ए.के. सिंह हाल मु0 बिजौलिया को दिनांक 17.02.2026 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया। तामील कुलिन्दा श्री शफीक मोहम्मद च0श्रे0कर्मचारी ने ए.के. सिंह से उनके मो0न0 9928910114 पर उक्त नोटिस लेने हेतु सूचना दी गयी। श्री ए.के सिंह ने नोटिस लेने से मना किया। दिनांक 17.02.2026 को अतिक्रमी ए.के. सिंह उपस्थित हुये। एवं उनकी ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार जोशी ने उपस्थित होकर अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। जिसे शा0फा0 किया गया। अधिवक्ता, अतिक्रमी द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया। जो दिया जाकर दिनांक 24.02.2026 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 24.02.2026 को अतिक्रमी एवं अधिवक्ता उपस्थित, जवाब हेतु ओर समय चाहा गया जो दिया जाकर दिनांक 27.02.2026 की पेशी नियत की गयी। दिनाक 27.02.2026 को अतिक्रमी एवं अधिवक्ता दोनो अनुपस्थित, कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जवाब हेतु दिनांक 17.03.2026 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 17.03.2026 को स्थानीय पर्व रंगतेरस होने से वास्ते जवाब दिनांक 18.03.2026 की पेशी नियत की गयी। दिनाक 18.03.2026

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

को पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अतिक्रमी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मा0 न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा से प्रकरण सं0 अपील/टीए/58/2026 अरविन्द कन्स्ट्रशन कम्पनी बनाम महावीर कुमार पिता इन्द्रमल व अन्य में स्थगन प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया के प्र0सं0 36/2020 निर्णय दिनांक 19.01.2021 के विरुद्ध, जिसे उक्त प्रकरण की पत्रावली में शा0फा0 किया जाकर स्थगन हटने के उपरांत पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। पूर्व मे इन्ही आराजीयात बाबत पटवार हल्का बिजौलिया द्वारा धारा 91 का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। जिसे प्रकरण सं0 11/2025 दिनांक 21.04.2025 से दर्ज किया जाकर निर्णय दिनाक 06.06.2025 से बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित की गयी। पुनः अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 09.02.2026 को प्रकरण सं० 69/2026 से दर्ज किया गया। प्रकरण सं0 11/2025 की अपील का पत्र इस कार्यालय को 16.02.2026 को प्राप्त हुआ।

दिनांक 09.02.2026 को प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 17.02.2026 की पेशी नियत की गयी। प्रार्थी द्वारा नोटिस लेने से मना किया गया। दिनांक 17.02.2026 को प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार जोशी उपस्थित हुये, जवाब हेतु समय चाहा गया जो दिया गया। जो दिया जाकर दिनांक 24.02.2026 को पेशी नियत की गयी। दिनांक 24.02.2020 को अतिक्रमी एवं अधिवक्ता उपस्थित, जवाब हेतु ओर समय चाहा गया, जो दिया जाकर दिनांक 27.02.2026 की पेशी नियत की गयी। दिनाक 27.02.2026 को अतिक्रमी एवं अधिवक्ता दोनो अनुपस्थित, कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जवाब हेतु दिनाक 17.03.2026 की पेशी नियत की गयी। दिनाक 17.03.2026 को स्थानिय पर्व रंगतेरस होने से वास्ते जवाब दिनाक 18.03.2026 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 18.03.2026 को पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अतिक्रमी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मा0 न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा से प्रकरण सं0 अपील/टीए/58/2026 अरविन्द कन्स्ट्रशन कम्पनी बनाम महावीर कुमार पिता इन्द्रमल व अन्य में स्थगन प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजीलिया के प्र0स0 36/2020 निर्णय दिनांक 19.01.2021 के विरुद्ध, जिसे उक्त प्रकरण की पत्रावली में शा0फा0 किया जाकर स्थगन हटने के उपरांत पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी को जवाब हेतु सम्पूर्ण अवसर प्रदान किये गये। प्रकरण स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों को बहस में दोहराते हुए अपनी बहस पूर्ण की। तहसीलदार बिजौलियां से रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय का विवचेन इस प्रकार है कि – प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां के न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में अपने प्रार्थनापत्र एवं बहस में जो कथन उल्लेखित किये है, तथा जो आशंकाए अभिव्यक्ति की गई है। चूंकि मौजूदा प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां द्वारा उक्त प्रकरण में विचारण के सम्बंध में जो कार्यवाही एवं प्रक्रिया जारी है, वह विधि सम्मत होकर उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात एवं एकपक्षीय झुकाव के तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं आये है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन, तथ्यहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं ठहरता है। अतएंव –

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौजूदा प्रार्थनापत्र दिनांक 16.03.2026 मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारीज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में सभी विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का सुमचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण, विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

उक्त आदेश आज दिनांक 20–05–2026 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा